कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, परसा बाजार(सारण)
जिला– सारण

A-D
18.12.17

15 DEC 2017
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, परसा बाजार के वित्तीय मार्च 2015, जुलाई 2015 से जनवरी 2017 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 666 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 14691/233 **दिनांक–** 10/10/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 10/10/17
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी
18 DEC 2017
12415
संख्या............
बिहार, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–666/17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, परसा बाजार (सारण)
2	लेखा की अवधि	01.12.2014 से 31.03.2017
3.	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2015, जुलाई 2015 एवं जनवरी 2017
4.	लेखापरीक्षा का विस्तार	तेरहवां/चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ/पंचम राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुद्रांक शुल्क मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, विविध रसीद, सैरात बंदोबस्ती पंजी, अग्रिम पंजी एवं भुगतान अभिश्रव। दिसंबर 2014 से जुलाई 2017 तक की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की अद्यतन जाँच की गई।
5.	लेखापरीक्षा की अवधि	26.07.2017 से 01.08.2017
5(अ)	**प्रशासन**	**नाम** — **अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमति सुमन्ती देवी — 01.12.2014 से 02.08.2015 2. श्रीमति उर्मिला देवी — 02.08.2015 से 31.03.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्रीमति मुन्नी खातुन — 01.12.2014 से 02.08.2015 2. श्री सत्येन्द्र राय — 02.08.2015 से 31.03.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री अवधेश कुमार नेपाली — 01.12.2014 से 04.09.2015 2. श्री ज्योति कुमार श्रीवास्तव — 05.09.2015 से 30.06.2016 3. श्रीमति कुमारी हिमानी — 18.07.2016 से 31.03.2017
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3. श्री नीरज कुमार–IV, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी

8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक–01.08.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर पंचायत–परसा बाजार (सारण)** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भाग–II (क)

शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका– (1): विविध रसीदों द्वारा संग्रहित राशि जमा नहीं– रू0 0.14 लाख

नगर पंचायत–परसा बाजार (सारण) द्वारा उपलब्ध कराए गए विविध रसीदों के जाँच कम में यह पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा मई 2016 से जून 2017 के दौरान कुल रू0 70050 की वसूली की गई थी परंतु, केवल रू0 53,500.00 ही संबंधित बैंक खाते में जमा किया गया था तथा शेष राशि रू0 16,550.00 (70,050.00 – 16,550.00) संग्रहकर्ताओं के पास ही पड़ी थी। विवरण निम्नांकित है–

क. सं.	विविध रसीद संख्या एवं तिथि	वसूली की राशि (रू0)	जमा की राशि (रू0)	कम जमा की राशि (रू0)	संग्रहकर्ता का नाम
1	2	3	4	5 (3–4)	6
1.	101 से 125 (अप्रैल 2017 से जून 2017)	18,800.00	13,500.00	5,300.000	श्री सोनू कुमार
2.	51 से 100 (मई 2016 से मार्च 2017)	51,250.00	40,000.00	11,250.00	श्री मुकेश दास
	कुल	**70,050.00**	**53,500.00**	**16,550.00**	

उपरोक्त कम जमा की रू0 16,550.00 राशि में से श्री सोनू कुमार द्वारा कुल रू0 3,000.00 की राशि लेखापरीक्षा के दौरान दिनांक–31.07.2017 को बैंक में जमा कर दिया गया, परंतु शेष रू0 13,550.00 (16,550 – 3,000) राशि जमा के लिए लंबित थी।

जवाब में बताया गया कि शेष राशि यथाशीघ्र जमा करा ली जाएगी। जवाब के आलोक में प्राप्त राजस्व की रू0 13,550.00 राशि यथाशीघ्र नगर पंचायत कोष में जमा कर संबंधित साक्ष्य लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

कंडिका– (2): मोबाईल टावर कर की बकाया राशि– रू0 18.11 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 के नियम–6 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अधिष्ठापित मोबाईल टावरों से रु0 30,000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष की दर से पंजीकरण शुल्क एवं रु0 8,000.00 प्रति टावर प्रतिवर्ष की दर से नवीकरण शुल्क तथा प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना

पर 60% की दर से कर वसूल किए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त नियमावली के नियम–6(8) के अनुसार बिना पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान किए तथा नगरपालिका की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिष्ठापित किए गए सभी मोबाईल टावर अवैध माने जाएंगे।

नगर पंचायत–परसा बाजार (सारण) द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल टावरों से संबंधित संचिका के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित एयरटेल, एयरसेल, आईडिया, बी.एस.एन.एल., रिलायंस, टेलीनॉर एवं टाटा इंडिकॉम कंपनियों के कुल 10 मोबाईल टावरों एवं 5 अतिरिक्त एंटीना के विरूद्ध वर्ष 2009–10 सें 2015–16 तक पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के मद में दिसंबर 2015 तक कुल रू0 18,10,770.00 राशि बकाया थी। उक्त मांग के आधार पर मोबाईल टॉवर कंपनियों से टावर कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई संचिका में नहीं पायी गई।

आगे, यह पाया गया कि दिनांक–13.02.2016 को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा मोबाईल टावर कंपनियों/भूखण्ड मालिकों/मकान मालिकों को टावर कर जमा करने के संबंध में समाचार पत्रों में आम सूचना के प्रकाशन हेतु निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था। परंतु, आम सूचना के प्रकाशित होने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। आम सूचना में सभी मोबाईल टावर कंपनियों/भूखण्ड मालिकों/मकान मालिकों को एक माह के अंदर करों का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में बिहार टॉवर कम्युनिकेशन अधिसंरचना अधिष्ठापन अधिनियम, 2012 एवं कर एवं गैर कर अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत वसूली तथा निलामपत्र वाद करने के साथ ही टॉवर बन्द करने की कार्रवाई किए जाने हेतु सूचित किया गया था, परंतु, संचिका में इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि अद्यतन बकाया मॉग तैयार कर लिया जाएगा। जवाब के आलोक में अद्यतन बकाया तैयार कर टावर कर की वसूली की कार्रवाई की जाए।

कंडिका– (3): <u>विलंब शुल्क की कटौती नहीं किया जाना– रू0 0.17 लाख</u>

योजना सं0/वर्ष एवं मद का नाम	Group 04/2013–14 (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद)
योजना का नाम	वार्ड सं0 7 में मोतीलाल दास के घर से पी.सी.सी. रोड नागेश्वर राय के स्थायी दुकान तक सोलिंग कार्य निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 1,70,708.00
तकनीकि स्वीकृति	दिनांक–28.12.2013; सहायक अभियंता, DUDA सारण
एकारारनामा राशि (1% Below)	रू0 1,70,406.00
एकारारनामा सं0 एवं मापी पुस्त सं0	....../F_2/2013–14; मापी पुस्त सं0 ....
संवेदक का नाम	मो0 अजमुल्लाह
कार्यादेश की तिथि	21.01.2015

कार्य समाप्ति की अवधि	1 माह
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	04.04.2015

लेखापरीक्षा आपत्तिः

(i) एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि विलंब शुल्क के रूप में संवेदक से वसूल किया जाना है। संवेदक द्वारा कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से लगभग 40 दिनों के विलंब से कार्य पूर्ण किया गया था, परंतु, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार, विलंब शुल्क के रूप में रू0 17,071.00 की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(ii) निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02/2013–14 के क्रम संख्या 19 के अनुसार कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त अर्थात् कार्य के तीनों चरणों में संबंधित कार्य स्थल की फोटाग्राफी/विडियोग्राफी कराकर संबंधित प्रभारी अभियंता को समर्पित करना था। संचिका में कार्य से संबंधित किसी प्रकार का फोटोग्राफ/सी.डी. नहीं पाया गया।

(iii) निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02/2013–14 के क्रम संख्या 20 के अनुसार कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जॉच सरकारी संस्थान से कराकर प्रमाण–पत्र समर्पित करने के पश्चात ही चालू विपत्र का भुगतान किया जाना था। संचिका के जॉच क्रम में यह पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा गुणवत्ता जॉच संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही संवेदक को पूर्ण भुगतान कर दिया गया था।

(iv) संवेदक द्वारा समर्पित Account Bills के भुगतान के समय बिक्री कर, रॉयल्टी, श्रम सेस एवं आयकर की कटौती कुल रू0 20,808.00 (8,520.00 + 6,732.00 + 1,705.00 + 3,851.00) की गयी थी। उक्त राशि संबंधित विभागों में जमा किए जाने का साक्ष्य नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि संवेदक के सुरक्षित जमा राशि से विलंब शुल्क की रू0 17,243.00 राशि की कटौती कर ली जाएगी। भूलवश कार्य से संबंधित फोटोग्राफ संचिका में संलग्न नहीं किया जा सका तथा जानकारी के अभाव में गुणवत्ता जाँच नहीं की जा सकी। आगे, यह बताया गया कि संवेदक के विपत्र से कटौती की गई राशियों को संबंधित विभागों में जमा कर दिया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।